



दौंड नगरपरिषद, दौंड जि.पुणे

दि.-१०/१०/२०२३

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० अंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या वर्षाकरीता

कराचे बिल (पोचपावती)

वार्ड क्र: ६ मालमत्ता क्र: १२६८ भाग क्र: जुना वार्ड क्र: ६ जुना मालमत्ता क्र: १०७४

मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/में: एम एन आलदर

भोगवटदाराचे नाव: वंदना आलदर

भाडेकरूचे नाव: -

संगणक क्र.: W6Z2001016



बिल क्र.

DND7621

| राचे विवरा | संकलित कर रु | वृक्ष कर रु | अग्निशमन कर रु | वि. स्वच्छता कर रु | शिक्षण उपकर रु | रो. ह. उपकर रु | उपयोगकर्ता शुल्क रु | शास्ती दि. ३०/०९/२०२३ पर्यंत | दुकान गाळा भाडे रु | एकूण कर रु |
|---------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------|------------|
| थकीत मागणी रु | | | | | | | | | | |
| चालु मागणी रु | ३२९९ | १३७ | ६६ | ६६ | ११६ | | ३६० | | | ४८४४ |
| एकूण मागणी रु | ३२९९ | १३७ | ६६ | ६६ | ११६ | | ३६० | | | ४८४४ |

मालमत्ता धारकाची किंवा पावती घेणाऱ्याची सही



दौंड नगरपरिषद, दौंड जि.पुणे

दि.-१०/१०/२०२३

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० अंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या वर्षाकरीता

कराचे बिल

वार्ड क्र: ६ मालमत्ता क्र: १२६८ भाग क्र: जुना वार्ड क्र: ६ जुना मालमत्ता क्र: १०७४

मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/में: एम एन आलदर

भोगवटदाराचे नाव: वंदना आलदर

भाडेकरूचे नाव: -

संगणक क्र.: W6Z2001016



बिल क्र.

DND7621

१) महाराष्ट्र नगर परिषदा नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ नुसार नगर परिषदेचा कर आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थात १ एप्रिल रोजी देय होतो. २) नगर परिषदा, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५०(३) अन्वये विल दिल्यापासून १५ दिवसांचे आत विलातील संपूर्ण रकमेचा भरणा केल्यास संकलित करात १ टक्का सवलत मिळेल. ३) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील (राजपत्र दि.२७/०४/२०१० असाधारण भाग ४)मधील सुधारीत कलम १५० (१) अन्वये मागणी विलातील थकीत रकमेचा पूर्ण भरणा करेपर्यंत प्रतिमाह २% शास्ती भरावी लागेल व चालु मागणीवर देयक दिनांका पासून तीन महिन्यांनंतर २% आकारण्यात येईल. ४) विहित मुदतीत उपरोक्त रकम न भरल्यास कलम १५० अ (१) अन्वये एकुण थकीत रकमेच्या प्रतीमाह २% प्रमाणे शास्ती आकारण्यात येईल. भरणा करणे बंधनकारक राहील. ५) जर विल दिल्यापासून विहीत मुदतीच्या कालावधीत कराचा भरणा केला नाही किंवा (अ) पूर्ण कराचा भरणा शास्ती ची रकम, व्याज, रकम विहित मुदतीत भरली नाही किंवा (ब) कलम १६९ च्या तरतुदीनुसार अशा विला विरुद्ध अपिल केली नाही, तर अशी रकम व तो वसूल करण्याचा सर्व खर्च कलम १५२ मुख्याधिकारी यांच्या सहिते वॉन्ट (अधिपत्र) काढून आपल्या जंगम किंवा स्थावर मालमत्तेची अटकावणी किंवा जमी करून व ती जाहिर लिलावाद्वारे विकुण वसुलीस पात्र असेल. ६) स्थावर मालमत्तेबाबत मा. जिल्हाधिकारी यांची पुर्व मान्यतेने नगर परिषदेला नाममात्र रकमेत आपली स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेता येईल. ७) सदर देयक ३०/०९/२०२३ रोजी मालमत्ता आधिन राहून लागू करण्यात येत आहेत. त्यानुसार त्यानंतर कराची रकम अदा केली असल्यास, भरलेली रकम सदर विलातून समाजोजित केली जाईल.

सन २०२३-२४ करीता मागणी

| कराचे विवरण | थकीत मागणी रु | चालु मागणी | | वावू वसुली (असल्यास) | सन २०२३-२४ ची एकूण देय मागणी रु |
|------------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | | प्रथम अर्धवार्षिक मागणी रु | दुसरी अर्धवार्षिक मागणी रु | | |
| संकलित कर रु | | १६५० | १६४९ | पावती पु. पावती क्र. दिनांक | ३२९९ |
| वृक्ष कर रु | | ६९ | ६८ | | १३७ |
| अग्निशमन कर रु | | ३३ | ३३ | | ६६ |
| वि. स्वच्छता कर रु | | ३३ | ३३ | | ६६ |
| शिक्षण कर रु | | ४५८ | ४५८ | | ११६ |
| रो. ह. उपकर रु | | | | | |
| उपयोगकर्ता शुल्क | | १८० | १८० | | ३६० |
| शास्ती दि. ३०/०९/२०२३ पर्यंत | | | | | |
| दुकान गाळा भाडे रु | | | | | |
| एकूण कर रु | | २४२३ | २४२१ | | ४८४४ |

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १५० अ (१) अन्वये या तारखेनंतर शास्तीसहीत भरावयाची रकम.

| विवरण | ऑक्टो-२३ | नोव्हें-२३ | डिसे-२३ | जाने-२४ | फेब्रु-२४ | मार्च-२४ |
|----------------------------|----------|------------|---------|---------|-----------|----------|
| थकीत देय रकम रु | | | | | | |
| पहिली अर्धवार्षिक मागणी रु | २४२३ | २४२३ | २४२३ | ४८४४ | ४९४० | ५०३८ |
| दुसरी अर्धवार्षिक मागणी रु | २४२१ | २४२१ | २४२१ | | | |
| एकूण देय रकम रु | ४८४४ | ४८४४ | ४८४४ | ४८४४ | ४९४० | ५०३८ |

झाडे लावा,
झाडे जगवा



स्वच्छ दौंड
सुंदर दौंड



कर विभाग प्रमुख
दौंड नगरपरिषद, दौंड जि.पुणे

मुख्याधिकारी